प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 12.04.2026

***अंतरराष्ट्रीय/क्रॉस-बॉर्डर अवैध ड्रग तस्करी सिंडिकेट पर सोनभद्र पुलिस का सतत प्रहार-**

***कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई में बांग्लादेश बॉर्डर तक फैले नेटवर्क के दो शातिर तस्कर गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में मादक पदार्थों एवं कोडीन युक्त नशीले कफ सिरप की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद सोनभद्र **पुलिस (एसआईटी टीम)** द्वारा एक बड़े अंतरराज्यीय एवं क्रॉस-बॉर्डर ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0- 1054/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)क भारतीय न्याय संहिता एवं 8/21/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट** से संबंधित प्रकरण में संलिप्त ड्रग माफिया शुभम जायसवाल पुत्र भोला प्रसाद जायसवाल के करीबी अभियुक्तगण **संस्कार वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा** तथा **विनोद कुमार वर्मा पुत्र कनक भवन वर्मा**, निवासी 33/67 उदितगंज की मण्डी, चलुआ घाट, थाना अतरसुइया, जनपद प्रयागराज को सोनभद्र एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित तरीके से **दिल्ली** स्थित **"वान्या इंटरप्राइजेज"** के माध्यम से कोडीन युक्त **"एस्कफ कफ सिरप"** की बड़ी खेप प्राप्त कर उसे अवैध रूप से अन्य राज्यों में डायवर्ट किया जाता था। तस्करी को छिपाने हेतु उक्त नशीले कफ सिरप को नमकीन/चिप्स के इनवॉइस पर कंटेनरों में छिपाकर **बांग्लादेश सीमा (अगरतल्ला, त्रिपुरा)** की ओर भेजा जा रहा था। यह नेटवर्क **अंतरराष्ट्रीय स्तर** पर सक्रिय होकर नशाखोरी हेतु कोडीन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति कर रहा था।

उक्त तस्करी से संबंधित बड़ी खेप पूर्व में दिनांक 18.10.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र से कुल **1,19,675 शीशियां** कोडीन युक्त कफ सिरप की दो कंटेनरों से बरामद की जा चुकी है। जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तगण संस्कार वर्मा एवं विनोद वर्मा द्वारा अवैध डायवर्जन के माध्यम से **बांग्लादेश बॉर्डर (अगरतल्ला, त्रिपुरा)** हेतु कुल **59,675 शीशियां** कोडीन युक्त **"एस्कफ कफ सिरप"** का अवैध परिवहन कराया जाना प्रकाश में आया।

उक्त प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों की तलाश के दौरान एसआईटी टीम सोनभद्र द्वारा थाना अतरसुइया, जनपद प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से दिनांक 12.04.2026 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सोनभद्र लाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. विनोद कुमार वर्मा पुत्र कनक भवन वर्मा, निवासी 33/67 उदितगंज की मण्डी, चलुआ घाट, थाना अतरसुइया, जनपद प्रयागराज, उम्र लगभग 50 वर्ष।
2. संस्कार वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा, निवासी उपरोक्त, उम्र लगभग 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरअ-

. **कुल** 59,675 शीशियां **कोडीन युक्त "एस्कफ कफ सिरप"**

आपराधिक इतिहास (संस्कार वर्मा)—

• मु0अ0सं0- 88/2025 धारा 208 भारतीय न्याय संहिता एवं 26(d) एनडीपीएस एक्ट, थाना अतरसुइया, जनपद प्रयागराज कमिश्नरेट।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 1054/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)क भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 8/21/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. सदानन्द राय, प्रभारी निरीक्षक ओबरा, जनपद सोनभद्र (एसआईटी)।
2. का0 प्रवीण कुमार राय, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
3. का0 यशवन्त सरोज, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
4. थाना अतरसुइया, जनपद प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस टीम।